<u>परिपत्र</u>

एनएचबी(एनडी)/डीआरएस/रेग्यू./डीआईआर-01/ /2004

01 जनवरी, 2004

सभी आवास वित्त कंपनियों के लिए

प्रिय महोदय,

विषय : आवास वित्त कंपनी (रा.आ.बैंक) निर्देश, 2001 : आस्ति वर्गीकरण और अनुपयोज्य आस्तियों से संबंधित <u>मानदंडों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप अतिरिक्त प्रावधान संबंधी अपेक्षा को समाप्त करना</u>

शीर्षांकित निर्देशों में, अधिसूचना सं.एनएचबी.एचएफसी.डीआईआर.3/सीएमडी/2002 दिनांकित 27 दिसम्बर, 2002 के अनुसार किए गए संशोधन के अनुसार, कोई आस्ति अनुपयोज्य बन जाती है, यदि ब्याज अथवा किस्त 31 मार्च, 2005 से प्रारम्भ होकर (180 दिनों की बजाए) 90 दिनों में अतिदेय हो जाती है । इसी प्रकार से, कोई भी आस्ति, जिसे 12 महीने से अनधिक (जो अब 2 वर्ष है) के लिए यथा अनुपयोज्य आस्ति वर्गीकृत किया गया है, उप-मानक होगी और कोई आस्ति, जो 12 महीनों से अधिक (जो अब 2 वर्ष है) की अवधि के लिए उप-मानक रहती है, संदिग्ध आस्ति होगी ।

उपर्युक्त संशोधित मानदंडों को अंगीकार करने से उत्पन्न अतिरिक्त प्रावधान का भार कम करने के लिए, आवास वित्त कंपनियों को प्रत्येक वर्ष किए जा रहे आवश्यक अतिरिक्त प्रावधान के न्यूनतम 20% के साथ, 31.3.2005 को समाप्त होने वाले वर्ष से प्रारम्भ होकर, तीन वर्षों की एक अवधि में अतिरिक्त प्रावधान को समाप्त कर देने की अनुज्ञा दी जाती है । आवास वित्त कंपनियों को 31.03.2004 को समाप्त वर्ष से प्रारम्भ करके ऐसे ऋणों के लिए अतिरिक्त प्रावधान प्रारम्भ करने के लिए भी सूचित किया जाता है, जो उनके तुलन-पत्र सुदृढ़ बनाएंगे और 31 मार्च, 2005 से प्रभावी होने वाले संशोधित मानदंडों का सुचारु संक्रमण सुनिश्चित करेंगे ।

भवदीय,

ह./-
उप महाप्रबंधक,
विनियमन एवं पर्यवेक्षण विभाग